न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिविजन संख्याः— 14 / 2018
दायर दिनांक :— 23.08.2018
निर्णय दिनांक :— 11.03.2019

अनवान

श्री प्रहलादनाथ पिता गिरधारीनाथ निवासी आंजना
तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

प्रार्थी / निगराकार

बनाम

ग्राम पंचायत आंजना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत
आंजना तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

विपक्षी / गैर निगराकार

निगरानी विरूद्व ग्राम पंचायत आंजना द्वारा पटटा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपस्थित :—

1—श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता निगराकार
2—श्री मुकेश तलेसरा ,अधिवक्ता ,गैर निगराकार

—:: निर्णय ::

प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में यह निवेदन किया हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.04.2017 को पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत संकल्प संख्या —5 पटटा संख्या —40 जारी किया गया । जारी किये गये पटटे को ग्राम पचायत आंजना द्वारी निरस्त कर दिये जाने यह निगरानी प्रस्तुत कि है। निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी / गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थी / निगराकार के अधिवक्ता द्वारा बहस में अवगत कराया कि निगराकार ने दिनांक 31.01.2017 को गैर निगराकार के यहां बापी पटटा अपने पुराने मकान के सम्बन्ध में निकलवाने के लिये आवेन किया । पटटा प्रशासनिक पटटा अभियान वर्ष 2017—18 के तहत आवेदन पेश किया । जिस पर विपक्षी ने दिनांक 08.04.2017 को पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत संकल्प संख्या —5 पटटा संख्य—40 के जरिये जारी कर प्रार्थी को पटटा दिया गया । ग्राम पंचायत द्वारा पटटे सम्बन्धी सभी कार्यवाही पूर्ण एवं विधि अनुसार पत्रावली कायम कर जांच कमेटी गठित कर प्रार्थी के मकान का निरीक्षण कर पटटा जारी किया गया। पटटा शुल्क

260/— रूपये दिनांक 14.07.2017 को जरिये रसीद संख्या 220 से जमा कराया गया। ग्राम पंचायत स्वयं के द्वारा आबादी भूमि का पटटा पंचायती राज अधिनियम के नियम 157(1) के तहत पटटा जारी कर दिये जाने के बाद स्वयं के द्वारा निरस्त करने का राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है ऐसा नहीं होते हुए भी विधि विरूद्व स्वयं के निर्णय को निरस्त कर दिया । यदि किसी प्रकार की अनियमितता भी प्रकट होती तो ग्राम पंचायत पटटे को निरस्त कराने के लिये अपने से उच्च कोटी की अपीलीय न्यायालय अथवा निगरानी प्रस्तुत कर निरस्त करवा सकती थी । लेकिन गैर निगराकार ने ऐसा नहीं कर विधि के सारवान तथ्यों के विपरित जाकर पटटे को निरस्त किया हैं जो किसी प्रकार उचित नहीं है। गैर निगराकार ने प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही पटटे को निरस्त कर दिया जो किसी प्रकार से उचित नहीं है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जावे तथा दिया गया पटटा बहाल रखा जावे।

अधिवक्ता विपक्षी/गैर निगराकार ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 08.04.2017 के विरूद्व यह निगरानी याचिका पेश की हैं जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगरानी याचिका 90 दिन की अवधि में प्रस्तुत करने के प्रावधान हैं और यह निगरानी याचिका आदेश से एक वर्ष चार माह बाद प्रस्तुत की गई है। और इस हेतु मयाद का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया। इसलिय उक्त निगरानी याचिका इसी आधार पर खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी के द्वारा यह निगरानी याचिका इस आधार पर पेश की गई कि ग्राम पंचायत आंजना के द्वारा दिनांक 08.04.2017 को नियमानुसार कार्यवाही कर प्रार्थी को पंचायत द्वारा पटटा संख्या 40 जारी किया गया। जिसे प्रार्थी को बिना सुने ही निरस्त कर दिया गया जो उचित नहीं हैं । पंचायत को उसके स्वयं के द्वारा जारी किये गये पटटे को निरस्त कर दिये जाने का अधिकार पंचायती राज अधिनियम में वर्णित नहीं है। पंचायत द्वारा जारी पटटे को पंचायत से उच्चतर अपीलेट कोर्ट के माध्यम से निगरानी याचिका पेश कर निरस्त करवाये जाने की कार्यवाही पंचायत द्वारा की जा सकती थी। इस प्रकार मामले में स्पष्ट हैं कि पंचायत को उसके द्वारा प्रार्थी को जारी किये गये पटटे को अपने स्तर पर ही निरस्त किये जाने का कोई अधिकार नहीं था । चूंकि यहा पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पट्टा निरस्त करते समय जिस कारण का उल्लेख किया गया है वह कारण विश्वास करने से परे है क्योंकि कारण लिखा हैकि सरपंच ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है, जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण पत्रावली एवं पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर है। अतः पट्टा निरस्त करने कारण ही निराधार है तथा निरस्त करने का प्राधिकार भी नहीं है। यदि पंचायत को इस जारी शुदा पटटे में अनियमितत होने की जानकारी ध्यान में आई थी तो स्वयं पंचायत को उक्त पटटे को निरस्त कराने के लिये विधिसम्मत कार्यवाही की जानी चाहिये थी। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य होना पाया जाता है।

:: आदेश ::

इस प्रकार उक्तानुसार पट्टा निरस्त करने का कार्य अविधिक व गैर जिम्मेदाराना तथा प्राधिकार से परे होने से पट्टा निरस्त किया जाना विधि सम्मत है तथा ग्राम पंचायत द्वारा किया गया कार्य मनमाना, अविधिक होने से ग्राम सेवक के विरूद्ध कानुनी कार्यवाही किया जाना उचित है। इस सम्बन्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बीडीओ को लिखा जाकर पालना मंगवाई जानी आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकार ग्राम पंचायत आंजना द्वारा निरस्त किया गया पटटा संख्या 40 बहाल किया जाता है।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 11.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द